



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड्स
विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना
(सी ई एन 02/2018) के लिए शुद्धि पत्र



रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :-

1. सी ई एन का अंतिम दिनांक और समय 31.03.2018 को 23.59 बजे तक बढ़ाया गया है ।
2. महत्वपूर्ण निर्देश के क्र.सं. 6 और पेरा 5.0, से संबंधित 01.07.2018 को आयु 18 से 33 वर्ष पढ़ी जाए ।
3. सामान्य निदेश पेरा 1.8 को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाय :
भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवार के हस्ताक्षर समान होना चाहिए और ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों में नहीं होना चाहिए ।
सी बी टी, पी ई टी और डी वी आदि के समय हस्ताक्षर विविध रूप में होने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है ।
4. पेरा 5.2 निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :
उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के मध्य की तिथि होनी चाहिए (दोनों दिन सहित)

क्र. सं.	आयु समूह	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इस तिथि से पूर्व नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (इस तिथि के पश्चाम नहीं)	टिप्पणियां
		अनारक्षित(सामान्य)	अन्य पिछड़े वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	अनुसूचित जाति / जनजाति	सभी समुदायो / श्रंगियों के लिए	
1	18 से 33	02.07.1985	02.07.1982	02.07.1980	01.07.2000	पेरा 5.1 में दी गई तालिका के अनुसार समुदायो/वर्गों से संबद्ध उम्मीदवार आयु के लिए यथा लागू छूट के पात्र होंगे। नोट : इस तालिका में अ.जा. /अ.ज.जा. एवं अ.पि.वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए दी गई जन्म तिथि की छूट में समुदाय आयु छूट शामिल है ।

*यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कारणों से आयु में छूट का पात्र होता है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार उच्चतम आयु छूट (संचयी नहीं) प्रदान की जाएगी।

5. पेरा 7.0 के परीक्षा संबंधी शुल्क तालिका को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

क्र.सं.	उम्मीदवार का वर्ग	शुल्क
1	क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग *इस शुल्क रु.500/- में से रु.400/- कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने के पश्चात बैंक प्रभार काटकर वापस किया जाएगा	रु.500*
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग व्यक्ति/महिला/विपरीत लिंग/ अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग **रु. 250/- की राशि शुल्क की धनवापसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर बैंक प्रभार काटकर की जाएगी।	रु.250**

6. पेरा 7.1 का उप पेरा a&b शुल्क भुगतान संबंधी प्रकार/भुगतान की अंतिम तारीख निम्नानुसार पढ़ा जाय :-
क. डेबिट /क्रेडिट कार्ड के उपयोग से या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दिनांक 30.03.2018 को 23.59 बजे तक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है ।
ख. निम्नलिखित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान
i) भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में दिनांक 28.03.2018 को 15.00 बजे तक एसबीआई बैंक चलान के माध्यम से भुगतान ।
ii) कंप्यूटरीकृत किसी भी डाक घर में 27.03.2018 को 15:00 बजे तक डाक घर चलान के माध्यम से भुगतान
7. पेरा 7.4 निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :
रु. 250/- या रु. 400/-, जो लागू है की धनवापसी के लिए पात्र उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में लाभार्थी के खाते का विवरण, अर्थात खाता धारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड देना होगा । सी बी टी में भाग लेने पर बैंक प्रभार काट कर धन वापसी की जाएगी ।

8. पेरा 10.2 में बताए दिनांक 12.03.2019 को 31.03.2019 पढा जाय

9. पेरा 11.0, 11.1, 11.2 और 11.3 को निम्न प्रकार स्थानपन्न किया गया है :-

11.0 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण (PwBD)

11.1 किसी पद पर बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता या उपयुक्तता का उल्लेख इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक-‘क’ में “बेंचमार्क दिव्यांग सहित व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता” कॉलम में प्रत्येक पद के संबंधित उप-दिव्यांगता के विवरण के साथ दी गई है ।

11.2 बेंचमार्क दिव्यांगताएं : राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटीज (RPwD) अधिनियम 2016 (19 अप्रैल 2017 से प्रभावी) के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार है :-

(a) नेत्रहीनता और कम दृष्टि

(b) बहरा और श्रवण बाधा

(c) सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रसि क्यूअर्ड, बौनापन, एसिड हमला विक्टिम और मस्कूलर डिस्टॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता

(d) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बिमारी

(e) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए सूचित पदों में बहरा:नेत्रहीनता सहित धारा (a) से (d) के तहत व्यक्तियों में मल्टिपल दिव्यांगता ।

RPwD अधिनियम 2016 के अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक-‘क-1’ में दी गई है ।

11.3 छूट के लिए अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : केवल वही व्यक्ति, अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता 40 प्रतिशत से कम नहीं है ।

उम्मीदवार जो आयु की और/या आरक्षण की छूट का लाभ प्राप्त किया हो और दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया हो उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटी नियम – 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के नियम 18(1) के प्रारूप V, VI और VIII के अनुसार जमा करना होगा । संशोधित प्रारूप के लिए इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक V(क), V(ख) तथा V(ग) देखें ।

परसन्स विथ डिजेबिलिटीज अधिनियम 1995 (बाद से निरस्त) के तहत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र दी गई निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होना जारी रहेगा ।

10. पेरा 2.0 और अनुलग्न – ‘ख’ की तालिका पर रिक्तियों सहित सी ई एन में जहां वी एच, ओ एच और एच एच को सूचित किया गया उसे दृष्टि दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता के रूप में पढा जाय ।

लेप्रसि क्यूअर्ड, बौनापन और एसिड हमला विक्टिम बेंचमार्क दिव्यांग सहित उम्मीदवार (जो 10.02.2018 को प्रकाशित सी ई एन 02/2018 में उल्लेख नहीं किया गया) उपयुक्त पद के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए पात्र हैं । बहरा और श्रवण बाधा से बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार भी उपयुक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

विविध बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पदों के लिए इस शुद्धि पत्र के संशोधित अनुलग्नक ‘क’ को देखें । राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटीज अधिनियम 2016 के तहत बचे हुए अतिरिक्त बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करके भविष्य की भर्तियों में कवर किया जाएगा ।

11. पेरा 15.2 के उप पेरा (क) में परिवर्तन शुल्क संशोधन के बाद रु.100/- है (नॉन रिफंडबल) । रु.250/- शुल्क पूर्व भुगतान कर यदि जो भी उम्मीदवार आवेदन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया हो तो अतिरिक्त राशि रु. 150/- का रिफंड आवेदन में दिए गए लाभार्थी के खाते में किया जाएगा ।

12. पेरा 20.0 को निम्न प्रकार पढा जाय :-
विभिन्न भर्ती बोर्डों का ब्यौरा, उनका वेबसाइट का पता और परीक्षा की भाषा का विकल्प नीचे दर्शाया गया है

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम और रेलवे	वेबसाइट पता	दूरभाष संख्या	अंग्रेजी के अलावा परीक्षा भाषा का विकल्प
अहमदाबाद (परे)	www.rrbahmedabad.gov.in	079-22940858	असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कोंकणी, मलयालम, मनिपूरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू
अजमेर (उपरे)	www.rrbajmer.gov.in :	0145- 2425230	
इलहाबाद (उमरे)	www.rrbald.nic.in	0532-2224531	
बेंगलूरु (दपरे)	www.rrbnc.gov.in	080-23330378	
भोपाल (पमरे)	www.rrbpl.nic.in	0755-2746660	
भुवनेश्वर (पूतरे)	www.rbbbs.gov.in	0674-2303015	
बिलासपूर (दपूमरे)	www.rbbilaspur.gov.in	07752-247291	
चंडीगड (उरे)	www.rrbcdg.gov.in	0172-2730093	
चेन्नै (दरे)	www.rrbchennai.gov.in	044-28275323	
गोरखपूर (उपूरे)	www.rrbgkp.gov.in	0551-2201209	
गुवाहाहाटी (उसीरे)	www.rrbguwahati.gov.in	0361-2540815	
कोलकत्ता (पूरे)	www.rrbkolkata.gov.in	033-25430108	
मुंबई (मरे)	www.rrbmumbai.gov.in	022-23090422	
पटना (पूमरे)	www.rrbpatna.gov.in	0612-2677680	
रांची (दपूरे)	www.rbranchi.gov.in	0651-2462429	
सिकंदराबाद (दमरे)	www.rrbsecunderabad.nic.in	040-27821663	

13. पेरा 21.0 की तालिका में डी-बहरा, एच एच-श्रवण बाधा, एल सी-लेप्रोसि क्यूअर्ड, डी डब्ल्यु-बौनापन और ए ए वी-एसिड हमला विक्रिप्त रूप जोडे गए हैं ।
14. इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक-‘क’ के अनुसार सभी अधिसूचित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है ।
“10 वीं पास (या) एन सी वी टी/एस सी वी टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई टी आई या समतुल्य या एन सी वी टी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटीसशिप प्रमाण पत्र (NAC)”
15. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिवर्तित योग्यता और पी डब्ल्यु डी उपयुक्तता के अनुसार (इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक -‘क’ को देखें) उनकी संशोधित योग्यता के आधार पर विविध पदों के लिए प्रेफरेंस बदलने के लिए, सी बी टी में भाग लेने पर परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए लाभार्थी का खाता विवरण देने के लिए और परीक्षा भाषा परिवर्तन करने के लिए, ऑन लाइन आवेदन पोर्टल में एक अलग टैब एनेबल किया गया है । उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सी ई एन 02/2018 के ऑन लाइन आवेदन पत्र लिंक पर क्लिक करें और उपरोक्त विवरण, परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें ।
16. विस्तृत सी ई एन 02/2018 के अन्य विषय में कोई बदलाव नहीं है ।

सी ई एन 2/2018
पदों का मापदंड

अनुलग्नक-क

कोटि सं	पदनाम	विभाग	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क दिव्यांगता व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता			न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
				दृष्टि दिव्यांगता	श्रवण दिव्यांगता	लोकोमोटर दिव्यांगता	
1	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल (वर्कशाप)	इलेक्ट्रिकल	सी1	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	10 वीं पास (या) एन सी वी टी/एस सी वी टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई टी आई (या) समतुल्य (या) एन सी वी टी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटीसशिप प्रमाण पत्र (एन ए सी)
2	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल ए सी	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
3	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल / सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
4	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल / पावर	इलेक्ट्रिकल	बी 2	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
5	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल / ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
6	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/टी आर डी	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
7	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/टी आर एस	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
8	हेल्पर/ब्रिज	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
9	हेल्पर/सिविल	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
10	हेल्पर/सिविल (वर्कशाप)	इंजीनियरिंग	सी 1	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
11	हेल्पर/पी.वे	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
12	हेल्पर/ट्रॉक मशीन	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
13	हेल्पर/वर्क्स	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
14	ट्रॉक मेंटेनर ग्रेड - IV	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
15	हेल्पर/मैकेनिकल	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
16	हेल्पर/ मैकेनिकल /कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
17	हेल्पर/ मैकेनिकल /डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
19	हेल्पर मैकेनिकल/पावर	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
20	हेल्पर/एस & टी	एस & टी	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
21	हेल्पर/एस & टी (वर्कशाप)	एस & टी	सी 1	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
22	हेल्पर/सिगनल	एस & टी	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
23	हेल्पर/टेलिकम्युनिकेशन	एस & टी	बी 1	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	सी 1	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
25	अस्पताल अटेंडेंट	मेडिकल	सी 1	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी	
26	सहायक पाइंट्समेन	ट्रॉफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	
27	गेटमेन	ट्रॉफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर एवं पोर्टर	ट्रॉफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	

संक्षिप्त रूप : बी-नेत्रहीन, एल वी -कमजोर दृष्टि, डी-बहरा, एच एच-श्रवण बाधा, ओ एल-एक पैर, एल सी-लेप्रोसि क्यूअर्ड, डी डब्ल्यू-बौनापन, ए ए वी-एसिड हमला विकटम

1. शारीरिक दिव्यांगता

क. लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिक तंत्र या दोनों के यातना से अपने चालन सहित वस्तुओं के विशेष गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ हो), समेत :-

(a) “लेप्रसि क्यूअर्ड” व्यक्ति का अर्थ है जो लेप्रसि से क्यूअर्ड है लेकिन नीचे दिए गए पीडित है :-

(i) हाथ या पाद में चालन का नुकसान व संवेदना में भी नुकसान और आंख और आंख पलक में पेरिसिस हो लेकिन मेनिफेस्ट डिफामिटि न हो

(ii) मेनिफेस्ट डिफामिटि और पेरिसिस लेकिन उनके हाथों में और पाद में उचित गतिशीलता हो जिससे वह अपने गतिविधि में लगे रहते हैं

(iii) परम शारीरिक डिफामिटि साथ ही साथ बढ़ती आयु जो लाभदायक व्यवहार से रोकता है, तथा एक्सप्रेसन “लेप्रसि क्यूअर्ड” तदानुसार अर्थ लगायेगी ।

(b) ‘सेरेब्रल पाल्सि’ का अर्थ है, गैर प्रोग्रेसिव तंत्रिका । अवस्थाओं का ग्रूप है किसी व्यक्ति के जन्म के बाद या दौरान सामान्यतया मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों या किसी एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के द्वारा जो शरीर संचालन और मांसपेशियों पर प्रभावित होता है :

(c) “बौनापन” का अर्थ है, चिकित्सक या जेनेटिक कंडीशन्स जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सें.मी.) या उससे कम :

(d) “मस्कूलर डिस्ट्रोफी” का अर्थ है, अनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी जो मांसपेशियों को कमजोर कर देता है कि उनके अनुवंशिकता में मल्टिपल डिस्ट्रोफी की गरलत और अनुपस्थिति की सूचना सहित मानव शरीर और व्यक्ति को बढ़ाती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों को आवश्यक प्रोटीन को प्रदान करने से रोकती है। यह प्रोग्रेसिव स्केलेटल मांसपेशियों की कमी, मांसपेशियों के प्रोटीन में खराबी और टिश्यू तथा मांसपेशियों को नष्ट करने के लक्षण पाए जाते हैं :

(e) “एसिड हमला विकिटम” का अर्थ है, हिंसक आचरण द्वारा एसिड या समरूप करोसिव पदार्थ फेंकने के कारण किसी व्यक्ति का रूप विकृत होना।

B. दृष्टि दिव्यांगता

(a) ‘नेत्रहीन’ का अर्थ है, सही सुधार के बाद कोई व्यक्ति इसी में से किसी एक अवस्था में हो -

(i) नेत्र दृष्टि की पूर्ण कमी

(ii) नेत्र विजुअल अक्यूटी 3/60 से कम या सही सुधार सहित अच्छे आंख में 10/200 (स्नेलेन) से कम या

(iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री से कम होना

(b) ‘कमजोर दृष्टि’ का अर्थ है जहां एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति में होता है -

(i) विजुअल एक्यूटी 6/18 से ज्यादा न हो, या 20/60 से कम 3/60 तक या सही सुधार के साथ अच्छे आंख में 10/200 (स्नेलेन) तक

(ii) दृश्यता क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से कम व 10 डिग्री तक हो ।

C. श्रवण दिव्यांगता -

(a) ‘बहरा’ का अर्थ है एक व्यक्ति के दोनों कानों में संवाद फ्रिक्वेंसि 70 डीबी हियरिंग लॉस हो ।

(b) ‘श्रवण बाधा’ का अर्थ है एक व्यक्ति के दोनों कानों में संवाद फ्रिक्वेंसि 60 डीबी से 70 डीबी तक होना चाहिए ।

D. ‘वाणी और भाषा दिव्यांगता’ का अर्थ है, स्थिति से बाहर उत्पन्न होनेवाली स्थाई दिव्यांगता जैसे लेरिंजेकओमी या न्यूरोलॉजिकल कारण या आर्गनिक के कारण वाणी या भाषा के एक या अधिक अंग को प्रभावित करनेवाला अफासिया है ।

2. बौद्धिक दिव्यांगता – महत्वपूर्ण सीमा और इन अडाप्टिव व्यवहार दोनों में बौद्धिक काम-काज द्वारा स्थिति को चिन्हित करता है ;विचार, सीखना, समस्या का सुलझाना जो दिन प्रतिदिन व सामाजिक कौशल के रेंज को कवर करता है –
- (a) **‘विशिष्ट लर्निंग दिव्यांगता’** का अर्थ है हेटेरोजनरस ग्रुप ऑफ कंडीषन्स जिसमें भाषा को बनाना, स्पोकन या लिखने को प्रकट करने में मुश्किल है इसमें स्थिति के अनुसार परसेक्युयल दिव्यांगता के कुछ ऐसी स्थितियों में समझना, बात करना, पढ़ना, लिखना, स्पेल करना या गणितक कैलकुलेशन करने में कठिनाई हो जो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्राक्सिया और विकसित अफसिया होते हैं ।
- (b) **‘ऑटिजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्था’** – इसका अर्थ है एक व्यक्ति के जीवन के प्रथम तीन वर्षों में न्यूरो विकसित कंडीषन प्रदर्शित होता है, जो व्यक्ति के संवाद क्षमता, संबंध को समझने और दूसरों से संबंध रखने या अक्सर असमान्यता से संबंधित या स्टीरियोटिपिकल रीति रिवाज या व्यवहार को प्रभावित करता है ।
3. **मानसिक व्यवहार –**
‘मानसिक बीमारी’ का अर्थ है, सोचने का ठोस विकार, मूड, परसेप्शन, ओरियंटेशन या मेमोरी जो निहायत ही निर्णय को बिगाडता है, व्यवहार, रियालिटी की क्षमता को पहचानना या जीवन के सामान्य मांगों को पूरा करना, लेकिन उसमें बाधा शामिल नहीं है, जो व्यक्ति के अपूर्ण मानसिक विकास या कमजोरविकास सबनार्मलिटी द्वारा विशेषकर चरित्र चित्रण किया गया हो ।
4. दिव्यांगता इसके कारण है –
- (a) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स जैसे –
- (i) **‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’** का अर्थ है, इनफ्लेमेट्री तंत्रिका तंत्र बीमारी जिसमें दिमाग के तंत्र सेल के एक्स के चौतरफ षेथ और स्पाइनल कार्ड क्षतिग्रस्त है, डिमिलिनेषन के लिए अग्रणी और दिमाग में तंत्रिका तंत्र सेल्स की सक्षमता पर प्रभावित तथा एक दूसरे के साथ स्पाइनल कार्ड कम्युनिकेट करता है ।
- (ii) **‘पार्किनसन्स डिजिज’** का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की बढ़ती हुई बीमारी ट्रिपर, मस्कुलर रिजिडिटी द्वारा चिन्हित है और धीमे से प्रभावित संचालन मुख्यतया मध्य आयु वाले और बुजुर्ग लोगों पर दिमाग के गैंग्लिया या बासल का डिजनरेशन सहित जुड़े रहते हैं तथा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है ।
- (b) खून की अव्यवस्था –
- (i) **‘हिमोफीलिया’** का अर्थ है इनहेरिटबल डिजीज, यह सिर्फ पुरुषों पर प्रभावित होती है लेकिन महिलाओं द्वारा अपने नर बच्चों पर प्रेषित होती है, यह कैरक्टराइज्ड या खून की सामान्य क्लॉटिंग क्षमता की हानि के परिणाम स्वरूप एक नाबालिग को फेटल ब्लीडिंग होता है ।
- (ii) **‘थैलेसेमिया’** का अर्थ है इनहेरिटेड अव्यवस्था ग्रुप द्वारा कम किया गया या हिमोग्लोबिन की कमी
- (iii) **‘सिकलसेल डिजिज’** का अर्थ है हेमोलैटिक अव्यवस्था, क्रोनिक अनीमिया, दर्दनाक घटनाओं द्वारा विशेषित है और असोसियेटेड टिस्यू व अंग क्षति के कारण विविध जटिलताएं होती है । रेड ब्लड सेल्स के से मेंबरेंस को नष्ट करने पर परिणाम के रूप में हेमोग्लोबिन रिलीज होता है जो **‘हेमोलाइटिक’** को रेफर करता है ।
5. मल्टिपल दिव्यांगता ;उपरोक्त बताए दिव्यांगता में से एक से अधिक बहरा नेत्रहीन सहित इसका अर्थ है, कोई एक व्यक्ति श्रवण और दृष्टि दिव्यांगता बाधा के संयोजन से होता है जो संवाद, विकासात्मक और पैक्षणिक समस्या का कारण बनता है ।
6. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया हुआ कोई अन्य कोटि ।

फॉर्म- **V**

दिव्यांग प्रमाण पत्र

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा मारने या बौनापन और नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या :दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि.....(तारीख/महीना/वर्ष)

आयु.....वर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....

वार्ड/गांव/गली.....डाक घर.....जिला.....राज्य.....

का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। मैं आश्वस्त हूँ कि:

(क) वह

*लोकोमोटर दिव्यांगता

*बौनापन

*नेत्रहीनता

से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाएं)

(ख) उसकी दिव्यांग का निदान.....है।

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (.....दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया

जाए) उसके(शरीर का अंग) मेंकी स्थायी शारीरिक दिव्यांग

/बौनापन/नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) है।

(2)आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म- VI

दिव्यांग प्रमाण पत्र

(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या : दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि.....(तारीख/महीना/वर्ष)

आयु.....वर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....

का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। हम संतुष्ट हैं कि:

(क) वह एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/दिव्यांगता को नीचे उल्लेखित दिव्यांगता के

लिए दिव्यांग दिशा निर्देशों के अनुसार (.....दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख

किया जाए) मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अपंगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मस्कूलर डिस्ट्रॉफी			
3	लेप्रोसिस क्यूअर्ड			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड हमला विकिटम			
7	कमजोर दृष्टि	#		
8	नेत्रहीनता	#		
9	बहरा	£		
10	श्रवण बाधा	£		
11	वाणी व भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15	मानसिक बीमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल			

	कंडीशन्स			
17	मल्टिपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसन्स डिजिज			
19	हिमोफीलिया			
20	थैलेसेमिया			
21	सिकल सेल डिजिज			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों के अनुसार (.....
.....दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया जाए) निम्नानुसार है :

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. यह दशा बढ़ रही है/नहीं बढ़ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

i)जरूरी नहीं है, या

ii) वर्ष.....माह के बाद सिफारिश की जाती है, इसलिए उनका प्रमाण पत्र.....
(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर # अर्थात् एक आंख £ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण
पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VII

दिव्यांग प्रमाण पत्र

(फॉर्म V और VI में किए गए उल्लेख के अलावा अन्य स्थितियों में)
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या : दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं ने श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि.....(तारीख/महीना/वर्ष)
आयु.....वर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....
वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....
का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। और मैं आश्वस्त हूं कि उसका मामला.....
.....दिव्यांगता का है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/दिव्यांगता को नीचे उल्लेखित दिव्यांगता के लिए दिव्यांग
दिशा निर्देशों के अनुसार (.....दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया जाए)
मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रमांक	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मस्कूलर डिस्ट्रॉफी			
3	लेप्रोसि क्यूअर्ड			
4	सेरेब्रल पाल्सी			
5	एसिड हमले विकिटम			
6	कमजोर दृष्टि	#		
7	बहरा	€		
8	श्रवण बाधा	€		
9	वाणी व भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट सीखने की अपंगता			
12	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13	मानसिक बीमारी			
14	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स			

15	मल्टिपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसन्स डिजिज			
17	हिमोफीलिया			
18	थैलेसेमिया			
19	सिकल सेल डिजिज			

(जो दिव्यांगता लागू न हो उसे काट दें)

2. यह दशा बढ रही है/नहीं बढ रही है /सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन :

i)जरूरी नहीं है, या

ii) वर्ष.....माह के बाद सिफारिश की जाती है, इसलिए उनका प्रमाण पत्र.....
(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर # अर्थात् एक आंख/दोनों आंख £ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम और मुहर)

प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा प्राधिकारी/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर
(मुहर सहित)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें: प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने पर ही वैध होगा।